

आदेश च इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 176/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी लि. शाखा सी-25, भगवान दास रोड, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी स्कीम-जयपुर।
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री सचिदा नंद शर्मा पुत्र श्री रोहिता नंद शर्मा
2. श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री सचिदा नंद शर्मा
पता :- प्लेट नम्बर ई-12, रियल सिटी, अम्बाबाडी, जयपुर
एवं सी-61, अम्बाबाडी, ए.यू. बैंक वाली गली, जयपुर।
एवं गवर्नमेन्ट सीनियर सैकण्डरी स्कूल सामोद, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation
and reconstruction of financial assets and
enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक: 23.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.10.2014 एवं 18.02.2019 को भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सचिदा नंद शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नं० ई-12, फर्स्ट फ्लोर, रियल सिटी, प्लॉट नम्बर ए. ए-1, बस्सी सीतारामपुरा, अम्बाबाडी, जयपुर क्षेत्रफल 979 वर्गफिट को बन्धक कर 22,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.03.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।


मजिस्ट्रेट
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी ने जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी को और अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।
5. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 22,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 22,35,512/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 25.03.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री सचिदा नंद शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नं० ई-12, फर्स्ट फ्लोर, रियल सिटी, प्लॉट नम्बर ए. ए-1, बस्सी सीतारामपुरा, अम्बाबाडी, जयपुर क्षेत्रफल 979 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कागदा जारी



पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2021 को स.रे इजलास सुनाया गया।


 (अन्तर सिंह नेहरा)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर